

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 97/2013

प्रार्थीगण:-

1. श्रीमती हर्षिता जैन पत्नि श्री अशोक कुमार उम्र 48 वर्ष जाति जैन निवासी वीर दुर्गादास नगर, पाली (राज0)
2. श्रीमती वन्दना पत्नि श्री रजनीश उम्र 50 वर्ष, जाति जैन निवासी अम्बेडकर सर्किल, पाली (राज0)
3. श्री राजेश कर्नावट पुत्र श्री चन्दुलाल, उम्र 52 वर्ष जाति जैन निवासी पावटा जोधपुर (राज.), हाल निवासी अहिंसा कॉम्प्लेक्स, अम्बेडकर सर्किल, पाली (राज0)

बनाम अप्रार्थीगण:-

1. श्री बदरुद्दीन पुत्र श्री नसीर अहमद कौम मुसलमान निवासी बासनी जिला नागौर (राज0)
- 1/1 नाजमा जोजे आफाक अहमद, जाति नागौरी मुसलमान
- 1/2 हदिका जोजे इमरान अहमद, जाति नागौरी मुसलमान
- 1/3 सफीया जोजे सैफूरहमान जाति नागौरी मुसलमान, निवासीगण बासनी, तहसील व जिला नागौर (राज0) हाल मुकाम नागौरी फार्म जोधपुर रोड़, पाली।
2. श्री भैरचन्द पियुशकुमार (एच.यू.एफ.) जरियेकर्ता भैरचन्द गोगड़ पुत्र श्री चुन्नीलाल गोगड़ जाति जैन निवासी ए-84, वीर दुर्गादास नगर, पाली (राज.)
3. श्री भैरचन्द भरतकुमार (एच.यू.एफ.) जरिये कर्ता भैरचंद गोगड़ पुत्र श्री चुन्नीलाल गोगड़ जाति जैन निवासी ए-84, वीर दुर्गादास नगर, पाली (राज.)
4. श्रीमती निर्मलादेवी बोहरा पत्नि श्री अशोक कुमार बोहरा जाति जैन, निवासी 85, महावीर नगर, पाली (राज.)
5. श्री मो0 हारून पुत्र श्री फकीर मो0 जाति शेख मुसलमान,
6. श्री मो0 इकबाल पुत्र फकीर मो., जाति शेख मुसलमाल
7. श्री अब्दुल जावेद पुत्र श्री अब्दुल मजीद जाति अंसारी मुसलमान निवासीगण इन्द्रा कॉलोनी, पाली
8. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली (राज.)



उपस्थिति:-

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक वादीगण
2. श्री चंद्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 4
3. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 व 3
4. श्री मोहम्मद इंसाफ, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1.1 से 1.3

*Rohit*

सहायक कलेक्टर  
पाली


राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

-:निर्णय:-

दिनांक 21.01.2020

1. इस न्यायालय द्वारा इस वाद में दिनांक 05-06-2016 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि सरहद मौजा पाली चक II में स्थित खसरा नंबर 1614 रकबा 189 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी दायम लगान 70.28 रुपये का खातेदारों के बीच उनके हिस्से अनुसार मौके पर काबिज अनुरूप बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा नियमान्तर्गत मौके पर करके बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, पाली को आदेश दिया गया।
2. तहसीलदार, पाली ने उनके पत्रांक/राजस्व/2016/420 दिनांक 10-02-2017 के द्वारा उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया तथा साथ ही लिखा कि प्रकरण में खसरा नंबर 1614 का धारा 177 आर.टी.एक्ट, 1955 का मामला श्रीमान् के न्यायालय में विचाराधीन है एवं उक्त खसरा नंबर 1614 का मामला राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में विचाराधीन है जिसमें स्थगन है।
3. विद्वान अभिभाषक वादीगण ने फहरिस्त के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसके अनुसार राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 38/2015 अनवान भूमिधारी तहसीलदार, पाली बनाम नसीन मोहम्मद के का0मु0 में दिनांक 08-02-2019 को निर्णय पारित कर अपील का खारिज किया गया। इस प्रकार इस विचाराधीन प्रकरण में वर्तमान में अब अपील विचाराधीन नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार कर भिजवाये गये बंटवाड़ा प्रस्ताव पर विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष ने बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुरूप अंतिम डिक्री जारी करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने जाहिर किया।
4. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा पाली चक II में स्थित खसरा नंबर 1614 रकबा 189 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी दायम लगान 70.28 रुपये का खातेदारों के बीच उनके हिस्से अनुसार तहसीलदार, पाली द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2016/420 दिनांक 10-02-2017 के द्वारा प्रेषित बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुरूप खातेदारों के बीच बंटवाड़ा किया जाकर पृथक-पृथक खसरा नंबर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा को इस अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है:-

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1.	नाजमा जोजे आफाक अहमद हि0 8.09 बीघा, हदिका जोजे इमरान अहमद हि0 7.18 बीघा, सफीया जोजे सेफुरहमान हि0 7.18 बीघा कौम नागौरी मुसलमान सा0 बासनी	1614/2	30.04	बारानी दायम	11.17



जिलाधिकारी  
 पाली

	तहसील नागौर बदरुदीन वल्द नसीर अहमद कौम मुसलमान नागौर हि0 5.19 बीघा सा0 बासनी तहसील नागौर खातेदार				
2.	राजेश कर्नावट पुत्र चन्दुलाल जाति जैन सा0 अहिंसा कॉम्प्लेक्स, पाली 0.11 बीघा, राजेश पुत्र चन्दुलाल जाति जैन सा0 पावटा, जोधपुर हि0 6.14 बीघा खातेदार	1614/3	7.05	बारानी दायम	2.68
3.	भेरचन्द पियुषकुमार (एच.यु.एफ.) जरिये कर्ता भेरचन्द गोगड़ पुत्र चुन्नीलाल गोगड़ हि0 32.13 बीघा, भेरचन्द भरतकुमार (एच.यु.एफ.) जरिये कर्ता भेरचन्द गोगड़ पुत्र चुन्नीलाल गोगड़ जाति जैन हि0 25.11 बीघा सा0 ए-84 वीर दुर्गादास नगर, पाली खातेदार	1614/4	58.04	बारानी दायम	21.53
4.	श्रीमती वन्दना पत्नि रजनीश जैन हि0 16.03 बीघा सा0 अम्बेडकर सर्कल, पाली श्रीमती हर्षिता जैन पत्नि अशोक कुमार हि0 3.19 बीघा कौम जैन सा0 वीर दुर्गादास नगर, पाली खातेदार	1614/5	20.02	बारानी दायम	7.44
5.	श्रीमती निर्मलादेवी बोहरा पत्नि अशोक कुमार बोहरा कोम जैन सा0 85 महावीर नगर, पाली खातेदार	1614/6	34.15	बारानी दायम	12.86
6.	मो0 हारून पुत्र फकीर मो0 कौम शेख मुसलमान मो0 इकबाल पुत्र फकीर मोहम्मद कौम शेख मुसलमान, अब्दुल जावेद पुत्र अब्दुल मजीद कौम अंसारी मुसलमान सा0 इन्द्रा कॉलोनी, पाली खातेदार	1614	14.17	बारानी दायम	5.49

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में एवं नजरी नक्शा अनुरूप राजस्व नक्शा में तरमीम करवाने का तहसीलदार, पाली को आदेश दिया जाता है। अंतिम डिक्री परस्मा मुर्तिब हो। इस निर्णय एवं अंतिम डिक्री परचा की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, पाली को पालना करवाने हेतु प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।



*Rahul*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

यह आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Rahul*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

# अंतिम डिक्री बमुकददमें इब्तादाई

( ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाया दीवानी )

( Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर,  
बड़जलास- श्री रोहिताश्व सिंह तोगर, (आई.ए.एस.)

मुकदमा संख्या- राजस्व वाद संख्या 97 सन् 2013

अंतर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट,1955

प्रार्थीगण:-

बनाम अप्रार्थीगण:-

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. श्रीमती हर्षिता जैन पत्नि श्री अशोक कुमार उम्र 48 वर्ष जाति जैन निवासी वीर दुर्गादास नगर, पाली (राज0)</p>   | <p>1. श्री बदरुदीन पुत्र श्री नसीर अहमद कौम मुसलमान निवासी वासनी जिला नागौर (राज0)</p>  |
| <p>2. श्रीमती वन्दना पत्नि श्री रजनीश उम्र 50 वर्ष, जाति जैन निवासी अम्बेडकर सर्किल, पाली (राज0)</p>  | <p>1/4 नाजमा जोजे आफाक अहमद, जाति नागौरी मुसलमान</p>  |
| <p>3. श्री राजेश कर्नावट पुत्र श्री चन्दुलाल, उम्र 52 वर्ष जाति जैन निवासी पावटा जोधपुर (राज.), हाल निवासी अहिंसा कॉम्प्लेक्स, अम्बेडकर सर्किल, पाली (राज0)</p> | <p>1/5 हदिका जोजे इमरान अहमद, जाति नागौरी मुसलमान</p> <p>1/6 सफीया जोजे सैफूरहमान जाति नागौरी मुसलमान, निवासीगण वासनी, तहसील व जिला नागौर (राज0) हाल मुकाम नागौरी फार्म जोधपुर रोड, पाली।</p> |
|   | <p>2. श्री भैरचन्द पियुशकुमार (एच.यू.एफ.) जरियेकर्ता भैरचन्द गोगड़ पुत्र श्री चुन्नीलाल गोगड़ जाति जैन निवासी ए-84, वीर दुर्गादास नगर, पाली (राज.)</p>  |
|   | <p>3. श्री भैरचन्द भरतकुमार (एच.यू.एफ.) जरिये कर्ता भैरचंद गोगड़ पुत्र श्री चुन्नीलाल गोगड़ जाति जैन निवासी ए-84, वीर दुर्गादास नगर, पाली (राज.)</p>  |
|   | <p>4. श्रीमती निर्मलादेवी बोहरा पत्नि श्री अशोक कुमार बोहरा जाति जैन, निवासी 85, महावीर नगर, पाली (राज.)</p>  |




*Rachhi*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

5. श्री मो० हारून पुत्र श्री फकीर मो० जाति शेख मुसलमान,
6. श्री मो० इकवाल पुत्र फकीर मो., जाति शेख मुसलमाल
7. श्री अब्दुल जावेद पुत्र श्री अब्दुल मजीद जाति अंसारी मुसलमान निवासीगण इन्द्रा कॉलोनी, पाली
8. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली (राज.)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक वादीगण बहाजरी मिनजानिव मुद्दई व बहाजरी श्री चंद्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 4, श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 व 3, श्री मोहम्मद इंसाफ प्रतिवादी 1.1 से 1.3 मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा पाली चक 11 में स्थित खसरा नंबर 1614 रकबा 189 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी दायम लगान 70.28 रूपये का खातेदारों के बीच उनके हिस्से अनुसार तहसीलदार, पाली द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2016/420 दिनांक 10-02-2017 के द्वारा प्रेषित बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुरूप खातेदारों के बीच बंटवाड़ा किया जाकर पृथक-पृथक खसरा नंबर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा को इस अंतिम डिकी का भाग बनाया जाता है:-

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1.	नाजमा जोजे आफाक अहमद हि० 8.09 बीघा, हदिका जोजे इमरान अहमद हि० 7.18 बीघा, सफीया जोजे सेफुरहमान हि० 7.18 बीघा कौम नागौरी मुसलमान सा० बासनी तहसील नागौर बदरुदीन वल्द नसीर अहमद कौम मुसलमान नागौर हि० 5.19 बीघा सा० बासनी तहसील नागौर खातेदार	1614/2	30.04	बारानी दायम	11.17
2.	राजेश कर्नावट पुत्र चन्दुलाल जाति जैन सा० अहिंसा कॉम्पलेक्स, पाली 0.11 बीघा, राजेश पुत्र चन्दुलाल जाति जैन सा० पावटा, जोधपुर हि० 6.14 बीघा खातेदार	1614/3	7.05	बारानी दायम	2.68



  
 सहायक कलेक्टर  
 पाली

3.	भेरचन्द पियुषकुमार (एच.यु.एफ.) जरिये कर्ता भेरचन्द गोगड़ पुत्र चुन्नीलाल गोगड़ हि0 32. 13 बीघा, भेरचन्द भरतकुमार (एच.यु.एफ.) जरिये कर्ता भेरचन्द गोगड़ पुत्र चुन्नीलाल गोगड़ जाति जैन हि0 25.11 बीघा सा0 ए-84 वीर दुर्गादास नगर, पाली खातेदार	1614/4	58.04	बारानी दोयम	21.53
4.	श्रीमती वन्दना पत्नि रजनीश जैन हि0 16.03 बीघा सा0 अम्बेडकर सर्कल, पाली श्रीमती हर्षिता जैन पत्नि अशोक कुमार हि0 3.19 बीघा कौम जैन सा0 वीर दुर्गादास नगर, पाली खातेदार	1614/5	20.02	बारानी दोयम	7.44
5.	श्रीमती निर्मलादेवी बोहरा पत्नि अशोक कुमार बोहरा कोम जैन सा0 85 महावीर नगर, पाली खातेदार	1614/6	34.15	बारानी दोयम	12.86
6.	मो0 हारुन पुत्र फकीर मो0 कौम शेख मुसलमान मो0 इकबाल पुत्र फकीर मोहम्मद कौम शेख मुसलमान, अब्दुल जावेद पुत्र अब्दुल मजीद कौम अंसारी मुसलमान सा0 इन्द्रा कॉलोनी, पाली खातेदार	1614	14.17	बारानी दोयम	5.49

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में एवं नजरी नक्शा अनुरूप राजस्व नक्शा में तरमीम करवाने का  
तहसीलदार, पाली को आदेश दिया जाता है। नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य..... बाबत.....शून्य.....  
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शंरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक  
.....शून्य..... को अदा करें।

बसिब्ल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 01 सन् 2020

जारी की गई।



मुहर

दस्तखत *Rahni*  
ओहदा सहायक कलेक्टर  
पाली

कृ०पृ०उ०

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	-	-	स्टाम्प वकालतनामा	-	-
स्टाम्प वकालतनामा	-	-	स्टाम्प हाजरी	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	मेहनताना वकील पर	-	-
मेहनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान	-	-
खर्चा गवाहान	-	-	फीस कमिश्नर	-	-

फीस कमिश्नर	-	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-	मुतफरिक	-	-
मुतफरिक	-	-	-	-	-
	मीजान			मीजान	

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।



*Rehul*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

